गंगा और यमुना नदियों के जल में राजस्थान का हिस्सा

1775. **श्री शिवचरण सिंह** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंगा और यमुना नदियों के जल में राजस्थान का हिस्सा कितना है ;

(ख) इन नदियों के जल के बंटवारे के संबंध में कब तक निर्णय ले लिए जाने की संभावना है ;

(ग) क्या यह सच है कि केंद्रीय सरकार उक्त नदियों के जल के बंटवारे के संबंध में निर्णय लेने में टालमटोल कर रही है ; और

(घ) यदि नहीं, तो यह निर्णय किस वर्ष और किस तारीख तक ले लिए जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) (क) से (घ) राजस्थान सहित बेसिन राज्यों के बीच उपलब्ध यमना जल का बंटवारा अभी तय किया जाना है । हाल में, इस मामले पर 19-7-92 को हुई मुख्य मंत्रियों की अंतराष्ट्रीय बैठक में विचार-विमर्श किया गया । इन सभी मुद्दों को हल करने के तरीके के बारे में मोटे तौर पर सहमति थी और इस मामले पर संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की 17-8-1992 को होने वाली अंतराज्यीय बैठक में और विचार विमर्श किया जाएगा। तथापि, राजस्थान पहले ही लगभग 11 करोड घनमीटर यमुना जल का उपयोग कर रहा है ।

जहां तक गंगा जल का संबंध है, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने राष्ट्रीय जल संसाधन विकास के परिप्रेक्ष्य के अधीन हिमालयी नदी विकास घटक का मोटे आधार पर अध्ययन शुरू किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अधिशेष मानसून जल को गंगा नदी और इसकी पूर्वी सहायक नदियों से राजस्थान के जल की कमी वाले क्षेत्रों में व्यपवर्तित करने को भी परिकल्पना है । उनकी रिपोर्ट आठवीं योजना के अंत तक उपलब्ध हो जाने की आशा है ।

बिहार राज्य अल्पसंख्यक कल्याण समिति द्वारा ज्ञापन

1776. **श्री मोहम्मद अफजल उर्फ भीम अफजल** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के मुसलमानों की समस्याओं के संबंध में बिहार राज्य अल्पसंख्यक कल्याण समिति पटना के अध्यक्ष द्वारा दिए गए दिनांक 4 मार्च, 1992 के ज्ञापन का ब्यौरा क्या हैं ; और

(ख) सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) अध्यक्ष, बिहार राज्य अल्पसंख्यक कल्याण समिति द्वारा, पटना की ओर से दिनांक 4 मार्च, 1992 का ज्ञापन कल्याण मंत्रालय को प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

गुजरात में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए पुस्तक बैंक योजना

1777. **श्री राम सिंह राठवा** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में मैडिकल तथा इंजीनियरिंग कालेजों में अध्ययनरत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए चलाई गई पुस्तक बैंक योजना के अंतर्गत कितने विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं ; और

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान इस योजना के लिए गुजरात को कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) अनसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए पुस्तक बैंक की केंद्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत गुजरात में

1991-92 के दौरान लाभ प्राप्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों की संख्या 600 थी ।

(ख) इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार, केंद्रीय सहायता निर्मुक्त की जाती है । वित्तीय वर्ष 1991-92 के दौरान गुजरात सरकार को 1,48,000/- रु० की केंद्रीय सहायता निर्मुक्त की गई ।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम

1778. श्री राम सिंह राठवा : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछड़े वर्गों के विकास के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम की स्थापना की जा चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में निर्धारित किए गए लक्ष्य और आज की स्थिति के अनुसार उनकी लक्ष्य-वार उपलब्धियां क्या-क्या रही हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए 200 करोड़ रुपए की प्राधिकृत अंश पूंजी से कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त ऐवं विकास निगम की स्थापना की गई है । यह निगम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त निगम की तरह ही कार्य करेगा ।

Members of minority community in Selection Boards

1779. SHRI MOHAMMAD AFZAL *alias* MEEM AFZAL: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government have issued any instructions for inclusion of members of minority communities in the Selection Boards coastituted by the Government of India Undertaking*;

(b) whether members belonging to minority communities have been included in all the Selection Commissions/Committees appointed for seuction to different posts; and

(c) whether the Central Government have issued any instructions to the State Governments to include members of each community in their Selection Boards/Com. mittees|Boards?.

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI): (a) and (b) Government have issued instructions in August 1990 that wherever a selection Committee | Board exists or has to be constituted for making recruitment to 10 or more vacancies in Group C or Group D posts | services, it shall be mandatory to have one member belonging to SC [ST and one member belonging to minority community in such Committees|Boards. Wherever, however, the number of vacancies against which selection is to be made is less than 10, no effort should be spared In finding a SC|ST officer and a Minority Community Officer for inclusion in such Committees [Boards.

(c) One of the point in the Prime Minister's 15-Point Programme for the Welfare of Minorities envisages that the composition of Selection Committees should be representative.

Wooing back Muslims

1780. SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR; Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item which ap-